

तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को बिना किसी अपव्यय या धन के विचलन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। यह अध्याय राज्य शासन की आबंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है।

➤ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और किसी भी हाल के घटनाक्रम जो संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

➤ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


➤ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेंडर शामिल है। इसके साथ जेण्डर और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण दिए गए हैं।

➤ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी बनाया गया है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने पर वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिसमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनः आबंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन ने 23 योजनाओं के लिए ₹2,616.23 करोड़ प्रावधानित किया (मूल बजट ₹2,572.71 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹43.52 करोड़) जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं हेतु है। कुल बजट ₹2,616.23 करोड़ में से, केवल ₹1,030.03 करोड़ (39.37 प्रतिशत) का व्यय किया गया और ₹1,586.20 करोड़ (60.63 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिखाया गया है।

बजट प्रावधान ₹8,029.73 करोड़, 89 योजनाओं के लिए किया गया जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्षो या उद्देश्य शीर्षो का विवरण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य शासन ने 51 योजनाओं के लिए ₹5,010.24 करोड़ (मूल बजट का ₹4,939.81 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹70.43 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹5,010.24 करोड़ के कुल बजट में से ₹2,518.71 करोड़ (50.27 प्रतिशत) का व्यय हुआ और ₹2,491.49 करोड़ (49.73 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिखाया गया है।

कुल 51 योजनाओं के लिए ₹1,168.34 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार, युवा-केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन ने 13 विभागों¹ के तहत 260 योजनाओं के लिए ₹17,976.10 करोड़ (मूल बजट ₹17,693.26 करोड़ का और अनुपूरक बजट ₹282.84 करोड़) का बजट प्रावधान किया। कुल बजट में से ₹9,253.93 करोड़ (51.48 प्रतिशत) के व्यय और ₹8,722.17 करोड़ (48.52 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया।

3.3.4 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने ₹7,128.37 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 88 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषणा की। इन प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं में से, इसने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए 30 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹1,068.47 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था और समस्त राशि या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसका मुख्य कारण शासन द्वारा धनराशि जारी न किया जाना/कम किया जाना, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, कार्यों का अनुमोदित न होना आदि था। विवरण *परिशिष्ट 3.3* में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक व्यय भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार व्यय किया गया है कि व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2020-21 के दौरान 72 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है—

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, आयाकाट विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

तालिका 3.1: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत	आधिक्य	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	76,581.86	5,551.35	82,133.21	65,497.62	-16,887.83 (20.56)	252.24 (0.31)	-16,205.09 (95.96)
	पूँजीगत परिव्यय	14,576.52	1,072.20	15,648.71	9,500.28	-6,148.43 (39.29)	0.00	5,702.49 (92.75)
	ऋण तथा अग्रिमों	477.35	0.00	477.35	112.51	-364.84 (76.43)	0.00	359.42 (98.51)
	कुल दत्तमत	91,635.73	6,623.55	98,259.28	75,110.41	-23,401.10 (23.82)	252.24 (0.26)	22,267.00 (95.15)
भारित	राजस्व	6,374.83	419.29	6,794.12	6,149.98	-645.19 (9.50)	1.05 (0.02)	596.20 (92.41)
	पूँजीगत	55.39	0.00	55.39	19.02	-36.37 (65.66)	0.00	36.26 (99.68)
	लोक ऋण	4,841.47	0.00	4,841.47	8,020.29	0.00	3,178.82 (65.66)	847.70
	कुल भारत	11,271.69	419.29	11,690.98	14,189.29	-681.56 (5.83)	3,179.87 (27.20)	1,480.16 (217.17)
कुल योग	1,02,907.42	7,042.84	1,09,950.26	89,299.70	-24,082.67 (21.90)	3,432.11 (3.12)	23,747.15 (98.61)	


स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2020-21

कुल बचत ₹24,082.67 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 21.90 प्रतिशत) थी, जिसमें से ₹23,747.15 करोड़ समर्पित किया गया था और ₹335.52 करोड़ (1.39 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंत में व्यय हो गया था। कुल समर्पित राशि ₹23,747.15 करोड़ में से, ₹23,511.71 करोड़ (99 प्रतिशत) की राशि को 31 मार्च 2021 को समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चूंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹7,042.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ।

3.4.2 बजटीय निधि का उप-युक्ततम उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विगत पाँच वर्षों के दौरान बजट के उपयोग में प्रवृत्ति वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2016-17 में 75.40 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 81.22 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालाँकि बजट का उपयोग वर्ष 2019-20 में 86.30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में कुल बजटीय प्रावधान का 81.22 प्रतिशत हो गया। बजट के उपयोग में यह कमी मुख्य रूप से सब्सिडी के तहत कम व्यय के कारण थी। राज्य शासन ने बजट प्रावधान के उपयोग को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया और सरकारी व्यय और इष्टतम उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रशिक्षण, सरकारी दौरोँ और बैठकों, नई योजनाओं के कार्यान्वयन और नए वाहनों की खरीद आदि जैसे कई मदों से संबंधित व्यय को विनियमित किया जिससे कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 विधि के प्राधिकार के बिना व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही राज्य के समेकित कोष से कोई धन निकाला जाएगा अन्यथा नहीं। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹4,241.58 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था।

तालिका 3.2: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	बिना प्रावधान के व्यय
6003-112-विशेष आहरण सुविधा-91 दिवस के जमा पर	4,026.52
6004-09-101-3052-ब्लॉक कर्जे	121.80
6004-02-101-6718-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित ऋण	93.26
कुल	4,241.58

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2020-21

3.5.2 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)-2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिस उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड-एक की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत अनुभाग में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मुख्यतः किसी सामग्री और स्थानीय चरित्र की बढ़ती हुई ठोस संपत्ति के उद्देश्य के साथ व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। एक अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थाओं को अनुदान सहायता में व्यय, संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थाओं के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेषतः अधिकृत प्रकरणों को छोड़कर, पूँजीगत शीर्ष लेखे के नामे किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रदान किए गए ₹1,837.67 करोड़ के अनुदान और वर्गीकृत अनुदान का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त कार्यालय का व्यय ₹3.43 करोड़ और ₹24.75 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान को राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत नियत किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,432.94	2,359.39	1,998.74	1,939.61	1,865.85
कुल पूँजीगत व्यय	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश	15.13	23.59	22.45	22.64	20.68

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.3: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश



स्रोत : संबंधित वर्षों का विनियोग लेखे

3.5.3 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹7,042.84 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 27 अनुदान/विनियोग से संबंधित 33 मामलों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹3,560.38 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

कुल 17 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये भले ही बचत ₹100 करोड़ और मूल बजट प्रावधान से अधिक

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान के बाहर बचत	अनुपूरक प्रावधान	
					राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)						
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,069.53	-877.49	17.74
10	जंगल	1,760.92	213.80	1,516.28	-244.64	13.89
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	499.09	11.78	374.40	-124.69	24.98
24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	1,190.99	1.00	786.14	-404.85	33.99

27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	4,106.56	-1,043.25	20.26
29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	445.70	11.35	309.62	-136.08	30.53
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3,056.73	162.74	1,486.53	-1,570.20	51.37
33	आदिवासी कल्याण	4,858.73	8.02	4,217.57	-641.16	13.20
41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	15,741.75	901.19	12,486.69	-3,255.06	20.68
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	354.63	11.30	218.73	-135.90	38.32
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,083.75	9.47	650.92	-432.83	39.94
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	4,780.56	-734.62	13.32
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	919.83	10.00	713.23	-206.60	22.46
	कुल राजस्व दत्तमत	45,524.13	1,783.07	35,716.76	-9,807.37	21.54
पूँजीगत (दत्तमत)						
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	703.54	0.50	369.89	-333.65	47.42
23	जल संसाधन विभाग	430.09	8.00	291.41	-138.68	32.24
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	2,208.78	-861.28	28.05
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	990.61	136.07	741.52	-249.09	25.14
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	914.81	22.11	377.48	-537.33	58.74
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	697.31	0.50	176.87	-520.44	74.63
	कुल पूँजीगत दत्तमत	6,806.42	469.08	4,165.95	-2,640.47	38.79
	कुल योग	52,330.55	2,252.15	39,882.71	-12,447.84	23.79

स्रोत : विनियोग लेखे 2020-21

इसके अतिरिक्त, 14 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹544.78 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.5 में दर्शाया गया है। यह धन की आवश्यकता के अवास्तविक अनुमान और खराब बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.5: विवरण जहां संपूर्ण पूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) अनुपयोगी रह गया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान
1	02-2052-90-6452-मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	120.00	120.00
2	06-2052-90-6454-बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	120.00	120.00
3	02-4070-800-101-6452-मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	80.00	80.00
4	06-4070-800-101-6454-बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	80.00	80.00
5	58-2245-2-122-6457-राज्य आपदा नवीनीकरण कोष से व्यय	0.00	60.00	60.00
6	58-2245-80-800-6457-राज्य आपदा नवीनीकरण कोष से व्यय	0.00	53.20	53.20
7	23-4700-80-800-701-6354-बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II	5.50	5.50	11.00
8	79-4210-04-101-0311-6441-कोविड-19 का उपचार और रोकथाम	0.00	9.98	9.98
9	23-4701-80-800-701-6354-बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II	2.50	2.50	5.00
10	79-4210-1-110-701-6387-कैंसर संस्थान	0.00	5.00	5.00
11	41-4702-796-800-702-6354-बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II	2.00	2.00	4.00
12	03-2055-101-801-6460-मानव तस्करी रोधी इकाई	0.00	3.60	3.60
13	58-2245-80-102-6457-राज्य आपदा नवीकरण निधि से व्यय	0.00	2.00	2.00
14	81-2215-1-1-101-7845-शहरी निकायों की जल वृद्धि योजना	0.00	1.00	1.00
	कुल	10.00	544.78	554.78

स्रोत : विनियोग लेखे 2020-21

3.5.4 अनावश्यक या अत्याधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग में अनुदान में एक इकाई (जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है), दूसरी इकाई को (जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है), धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, छः अनुदानों से संबंधित सात मामलों में, पुनर्विनियोजन के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.6 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आकलन के बिना किए गए थे।

तालिका 3.6: अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन- विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	अंतिम अधिक्य (+) /कमी (-)
08-2029-103-3150 भूमि सर्वेक्षण	2.84	0.00	0.12	2.96	2.65	-0.31
19-4210-2-197-101-5998 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	28.66	0.00	0.50	29.16	23.82	-5.34
41-2210-1-796-196-102-1473 जिला अस्पताल	116.28	0.00	5.00	121.28	98.19	-23.08
58-2245-2-116-7357 बाढ़ अनुदान सहायता आदि	0.10	0.00	0.01	0.11	0.01	-0.10
64-2210-3-789-198-103-2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	43.87	0.00	0.50	44.37	39.01	-5.36
64-4210-2-789-104-103-5998 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	9.41	0.00	3.55	12.96	6.68	-6.28
79-2210-5-101-101-469 आयुर्वेदिक कॉलेज	23.41	0.00	3.75	27.16	22.61	-4.55

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2020-21

3.5.5 उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

107 मामलों में, 36 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों के लिए (₹10 करोड़ और उससे अधिक) तक के संपूर्ण प्रावधान ₹10,437.50 करोड़ अप्रयुक्त रहें। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण मामले, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के बिना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.7 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.7: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	कुल प्रावधान
02	02-2052-90-6452 मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा रख-रखाव	120.00
06	06-2052-90-6454 बुनियादी सुविधाओं का विकास	120.00
13	13-2401-102-101-8972 धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2,397.00
40	40-4705-209-701-7907 कमान क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति	115.52
41	41-2216-3-796-105-702-7807 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	608.00
41	41-2401-796-102-102-8972 धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	1,938.00
64	64-2401-789-102-103-8972 धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	765.00
80	80-2515-198-7675 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान	173.05
CH1	CH1-6003-110-637 अर्थोपाय अग्रिम	660.00
CH1	CH1-6003-110-779 कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम	264.51
CH2	CH2-2049-1-101-2199 नया बाजार ऋण	275.00

3.5.6 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹24,082.67 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 23 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत हुई, ₹21,641.14 करोड़ की राशि जो कि **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत रूप में वर्ष के दौरान समग्र बचत का 89.86 प्रतिशत है, इन 23 अनुदानों/विनियोगों में से दस अनुदानों के तहत कुल बचत ₹12,939.71 (₹500 करोड़ से अधिक) थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 60 अनुदानों में किए गए ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण की अनुमानित राशि ₹23,525.85 करोड़ है जो कि **परिशिष्ट 3.8** में विस्तृत हैं।

कुल 72 अनुदानों/विनियोजनों में से 17 अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2020-21 में बचत ज्यादा हुई। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक 17 अनुदानों/विनियोजनों में बजट प्रावधानों का उपयोग **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं	अनुदान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की संख्या*	बजट	कुल बजट
								2020-21	(पाँच वर्ष)
		बजट का उपयोग (प्रतिशत)						(₹ करोड़ में)	
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	66	65	58	46	06	2	227.15	341.01
2	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	49	67	59	57	34	2	139.20	365.88
3	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	46	36	37	58	24	4	21.24	108.75
4	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग	68	45	31	58	37	3	616.91	3,656.55
5	22- शहरी प्रशासन और विकास	80	87	82	73	24	1	23.46	132.20
6	25-खनिज संसाधन विभाग	89	98	32	12	23	3	501.36	2,932.23
7	36-परिवहन	36	35	38	68	49	4	101.58	494.05
8	37-पर्यटन	56	33	33	60	32	3	103.50	379.95
9	40-आयाकट विभाग	64	39	05	03	03	4	120.85	573.72
10	42- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-सड़कों और पुलों से संबंधित लोक निर्माण	50	40	76	98	49	2	960.52	5,791.29
11	43-खेल एवं युवा कल्याण	24	27	20	25	13	5	84.40	377.58
12	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	62	36	35	34	34	4	25.50	111.55
13	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	00	-	-	-	00	2	100.00	101.00
14	65- विमानन विभाग	52	46	52	35	41	3	130.01	483.30
15	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	85	45	48	40	36	4	165.57	977.67
16	71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	57	31	22	77	37	3	192.58	1,502.11
17	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	98	74	66	29	25	2	697.81	3,197.33

*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कम बजट उपयोग प्रणालीगत खामियों का संकेत है जो सरकार द्वारा त्वरित सुधारात्मक उपायों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए एक करीबी समीक्षा की आवश्यकता है। अनुदान 43-खेल और युवा कल्याण में बार-बार कम उपयोग के कारण की जांच सरकार द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.7 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन मामलों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। इससे आगे की सीमा, उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) में इस तरह के बदलाव को विनियोग लेखे में समझाया जाना है, जो लोक-लेखा समिति (पीएसी) द्वारा निर्धारित किया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड है (अतिरिक्त/बचत)–

1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी है:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (शुल्क) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी है:


- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएंगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।

4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (प्रभारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 51.27 प्रतिशत मामलों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3,230 उप-शीर्षों में से 1,656 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 826 उप-शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 830 उप-शीर्षों में से जिनके लिए सरकारी विभाग के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा भिन्नता के कारण प्रस्तुत किए गए थे, 122 मामलों में व्यय में भिन्नता के कारणों को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के

लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, चार्ट 3.4 में दिए गए हैं।

चार्ट-3.4: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.8 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य शासन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा नियमित रूप से अनुदान/विनियोजन से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹3,432.11 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹4,026.52 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था। विवरण नीचे तालिका 3.9 में दिया गया।

तालिका 3.9: वर्ष 2020-21 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत					
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6,992.20	7,243.79	251.59
जनजातीय विभाग	83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता-शहरी निकाय	51.66	52.31	0.65
राजस्व भारित					
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.50	1.55	1.05
पूँजीगत भारित					
लोक ऋण	—	लोक ऋण	4,841.47	8,020.29	3,178.82
कुल			11,885.83	15,317.94	3,432.11

स्रोत : विनियोग लेखे

वर्ष के लिए प्रावधान पर अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब योजना का भी संकेत है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000-01 से 2019-20 के लिए प्रावधानों पर ₹9,944.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता

को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2000-01 से 2019-20 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2000-01 से 2019-20 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय

वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2000-01	11	2	10.21
2001-02	14	2	115.90
2002-03	8	2	114.59
2003-04	4	2	591.12
2004-05	4	5	133.36
2005-06	4	2	23.27
2006-07	4	1	5.13
2007-08	3	3	15.99
2008-09	9	1	115.26
2009-10	10	5	216.77
2010-11	22	6	293.78
2011-12	24	1	498.09
2012-13	2	2	0.96
2013-14	3	3	178.96
2014-15	4	2	833.54
2015-16	3	2	98.24
2016-17	2	3	12.38
2017-18	3	3	2.61
2018-19	2	4	1.67
2019-20	3	4	6,682.69
कुल	139	55	9,944.52

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹6,682.69 करोड़ विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय किया गया था।

हालाँकि, विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान 23 मुख्य शीर्षों में 10 अनुदानों के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹3,674.01 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की हड़बड़ी को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

17 प्रमुख शीर्षों पर ₹1,649.08 करोड़ का व्यय किया गया जो मार्च 2021 में संबंधित प्रमुख शीर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च माह में कुल व्यय	योजना के कुल व्यय में से मार्च में किये गये व्ययों का प्रतिशत
2030	मुद्रांक और पंजीयन	5.41	4.69	5.99	93.83	109.91	88.50	80.52
2250	नहरें और तालाब	0.07	0.18	0.15	5.78	6.18	4.86	78.70
2425	सहकारिता	14.42	10.93	11.38	139.60	176.33	102.47	58.11
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	13.73	13.73	13.73	100.00
2810	नवीन और अक्षय ऊर्जा	0.00	16.01	0.09	58.60	74.70	47.80	63.99
2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	11.75	8.25	73.62	123.06	216.68	117.53	54.24
3275	अन्य संचार सेवाएँ	0.00	0.00	6.63	29.00	35.63	18.75	52.62
4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	48.40	12.81	101.47	349.03	511.71	291.13	56.89
4225	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	10.90	43.49	303.91	358.30	251.99	70.33
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.03	0.10	34.15	34.29	34.12	99.52
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	0.25	1.30	1.82	16.60	19.98	11.06	55.38
4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	20.32	181.79	202.10	181.63	89.87
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	350.00	63.64
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	100.00
6853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	100.00
	कुल	80.30	65.10	265.06	2,034.57	2,445.03	1,649.08	67.45

स्रोत: विनियोग लेख और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी

पाँच प्रमुख शीर्षों में, मार्च 2021 के महीने में 100 प्रतिशत खर्च किया गया था। व्यय की स्थिर गति को बनाए रखना टोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह उस विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी की कमी को दूर करता है।

3.6.1 उप-शीर्ष (योजनाएं) जहाँ मार्च 2021 में पूरा व्यय किया गया था

10 योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹27.78 करोड़ का पूरा व्यय वर्ष के अंत में किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में दिखाया गया है। वर्ष के अंत में व्यय का एक उच्च प्रतिशत इंगित करता है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है, को नहीं बनाए रखा गया था। इन 10 योजना शीर्षों में से एक योजना शीर्ष –“2406-1-800-6447 जैव विविधता प्रबंधन समिति” में मार्च 2021 में ₹13 करोड़ का संपूर्ण योजना व्यय किया गया था।

3.7 निष्कर्ष

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं यथार्थवादी नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप बचत/अधिकता हुई। इसके अलावा, बजट के निष्पादन और निगरानी के लिए बजटीय नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचत को उचित पुनर्विनियोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एवं प्रत्याशित बचतों की पहचान की जाती है और उन्हें निदृष्टि विनिदृष्ट समय-सीमा के भीतर समर्पण कर दिया जाता है ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके, अपर्याप्त था। इसके अलावा, पिछले वर्ष (86.30 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग (81.22 प्रतिशत) के प्रतिशत में कमी आई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदान और दो विनियोजन से संबंधित ₹3,432.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये बचतों को न तो समय पर समर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय की भिन्नता के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। व्यय के आधार पर आवंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सतत बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

3.8 अनुशंसाएं

- i.** राज्य शासन को विभागों की आवश्यकताओं की विश्वसनीय मान्यताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- ii.** शासन द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत पर अंकुश लगाया जा सकता है, अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाता है, और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पण किया जाता है।
- iii.** राज्य शासन को वर्ष 2000-01 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा यथाशीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है।
- iv.** राज्य शासन को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हों।